



म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड 1, भोपाल

क्रमांक 4138/रेरा/2020

दिनांक 24.07.2020

अधिसूचना

दिनांक 25.07.2020 से लेकर दिनांक 03.08.2020 तक मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार टोटल लॉकडाउन होने के कारण रेरा में लम्बित प्रकरणों में उभयपक्ष के उपस्थिति के रूप में यह विकल्प दिया गया था कि उभयपक्ष विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से पेशी तारीख पर पैरवी कर सकते हैं, परंतु लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए दिनांक 25.07.2020 से लेकर दिनांक 03.08.2020 तक रेरा प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति प्रतिबंधित की गई है।

उभयपक्ष व्यक्तिगत रूप से इस अवधि में उपस्थित न हो।

प्राधिकरण के आदेशानुसार जारी किया।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
भोपाल